आलोक शर्मा,
आई0पी0एस0

अ.शा. पत्रांकः एमजैड-सीआर-21(04)/2014
पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ जोन, मेरठ।
दिनांकःमेरठः अप्रैल 25, 2014
Mail id-igzonemrt-up@nic.in
Ph. No. 0121-2763664, 2763247

प्रिय महोदय,

प्रायः देखने में आया है कि जनपदो में डकैती/लूट की घटनाओं में प्रकाश में आये अभियुक्तगण एवं उनसे बरामद माल/सम्पत्ति की कार्यवाही शिनाख्त कराये बिना ही उनके विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किये जा रहे है। इस प्रकार की कार्यवाही से अभियोजन के समय अभियुक्तो को मा0 न्यायालय से अनुचित लाभ मिलने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है और यह स्थिति विधिक दृष्टिकोण से भी कदापि उचित नही है।

2- अतः मैं चाहुँगा कि आप ऐसे विवेचनाधीन अभियोगों की समीक्षा कर लें तथा समस्त विवेचको को भली-भांति ब्रीफ कर दे कि जब भी डकैती/लूट के अभियोगो में अभियुक्त प्रकाश में आये तो उनकी गिरफ्तारी कर बरामद की गयी सम्पत्ति एवं अभियुक्तगण की कार्यवाही शिनाख्त कराने के उपरान्त ही अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किये जाय। इस प्रकार की कार्यवाही से जहॉ एक ओर अभियोजन में मजबुती परिलक्षित होगी, वही दूसरी ओर वास्तविक अभियुक्तो को मा0 न्यायालय में अभियोजित किया जा सकेगा और जनपदो में बढ़ रही घटनाओं को रोकने में भी काफी सहयोग प्राप्त होगा।

(आलोक शर्मा)

समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक,(नाम से)
मेरठ जोन।

<u>प्रतिलिपिः-</u>पुलिस उपमहानिरीक्षक, मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।